प्रेषक,

संख्या:– 1971 / III(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 14 मार्च, 2013

विषय:– वित्तीय वर्ष 2012–13 मे लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विभिन्न कार्यो के प्रथम चरण के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 38.50 किमी0 + 03 सेतु सहित पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 499.70 लाख (₹ चार करोड़ निन्नयानवे लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 10 कार्यो हेतु कुल धनराशि ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की अनुमति, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से लीं गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05–सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण –00–24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्यय में प्राविधानित निर्वतन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

शासनादेश संख्याः–1971 (1)/ ।।।(2)/13–55(प्रा0आ0)/2012 दिनांक 14 मार्च, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई किमी0 में	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	2	3	4	5
1	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में घुड़साल से सैंकोट मोटर मार्ग का निर्माण।	8.00	103.16	0.10
2	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में बछेरधार से बछेर गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।	4.00	50.32	0.10
3	जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में नन्दप्रयाग–देवलखाल मोटर मार्ग का बेडू तक विस्तार।	0.500	6.29	0.10
4	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बगोली बाजार से बगोली गांव तक मोटर मार्ग निर्माण।	3.00	37.80	0.10
5	जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र– कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नैनीसैंण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु0मं0घो0 संख्या– 396/2012)	10.00	125.80	0.10
6	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में बौंला से श्रीकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण। (मु0मं0घो0 संख्या– 410/2012)	2.00	25.16	0.10
7	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र–कर्णप्रयाग में गौचर–दुवा–काण्डा मोटर मार्ग का बमेली तक विस्तारीकरण। (मु0मं0घो0 संख्या– 411/2012)	6.00	75.48	0.10
8	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर में रामपुर चुंगी मण्डी से ग्राम नांगल होते हुए पिरान कलियर तक बाईपास सड़क का निर्माण।	5.00 + 300 mt brg	62.44 (38.00 + 24.44 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–08 के अनुसार)	0.10
9	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र पिरान कलियर शरीफ दरगाह के सामने पुरानी गंग नहर पर आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रस्ड सेतु का निर्माण कार्य। (मु0मं0घो0 संख्या– 817/2012)	95 mt	10.45	0.10
10	जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र–कपकोट में आई0टी0आई0 को जाने हेतु खाईबगड़ से चीराबगड के बीच 70 मी0 झुलापुल का निर्माण।	70.00 mt	2.80	0.10
	योग	38.50 + 03 brg	499.70	1.00

(कुल ₹ एक लाख मात्र)

(महिमा)
अनु. सचिव

ASSISTANT ENGINEER (II)
Provincial Division P.W.D.
Gopeshwar

सत्य प्रतिलिपि
सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0 नि0 वि0
गोपेश्वर